निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :130/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

शंकर पुत्र मंगल जाति मीणा निवासी काली डूंगरी, ग्राम घाटा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमराज मीणा हाल तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।
2. नन्दलाल पुत्र हरसहाय जाति मीणा निवासी ग्राम खतैपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत तहसीलदार बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2022 ब उनवानी नन्दलाल व अन्य बनाम शंकर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित—

1. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रकाश लाम्बा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 20.09.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2022 ब उनवानी नन्दलाल व अन्य बनाम शंकर व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश लाम्बा उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना उक्त तथ्यों की जांच किये बगैर एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही उक्त प्रकरण में झूंठे तथ्यों के आधार पर 183 बी की कार्यवाही करने पर आमादा है जिस पर प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता दिनांक 09.05.2022 को उपस्थित हुआ और जबाब का अवसर चाहा, दूसरी पेशी दिनांक 16.05.2022 के पश्चात पेशी दिनांक 06.06.2022 को प्रार्थी स्वयं उपस्थित था तथा अधीनस्थ न्यायालय से माननीय राजस्व मण्डल मे विचाराधीन पत्रावली की प्रमाणित कापी लाने हेतु निवेदन किया था तथा अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत करने का निवेदन किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को अनुपस्थित बताते हुये झूंठे तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करने पर आमादा है जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.06.2022 नियत की गई तथा आगामी पेशी दिनांक 16.06.2020 नियत की गई। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जहां पक्षकारान का कब्जा विधिक प्रकिया के प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में विधिक प्रकिया के अधीन

जिला कलक्टर
जयपुर

ही पक्षकारान को बेदखल किया जा सकता है। प्रश्नागत प्रकरण में 183 बी के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है। प्रश्नागत प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से जब तक नजरसानी प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण नही हो जाता तब तक प्रार्थी को उसके कब्जे से बेदखल नहीं कर सकते है। उपरोक्त प्रकार से उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश प्रदान करें जिससे प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले में विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। इसके बावजूद प्रार्थी ने काल्पनिक व मनघढन्त आरोप लगा कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. तहसीलदार बस्सी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने जो आरोप लगाये है उनके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं तहसीलदार बस्सी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय तहसीलदार बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर